न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 107/2011 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. गंगाराम पुत्र चन्दर जाति बावरिया निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:––– अपीलांट

बनाम

1. महादुषी बिल्डर्स प्रा0 लि0 सी0 34 वरूण अपार्टमैंट सैक्टर 9 रोहिणी, दिल्ली जरिये डायरेक्टर विकास खटटर पुत्र आत्माप्रकाश खटटर निवासी सी0 34 वरूण अपार्टमैंट सैक्टर 9 रोहिणी, दिल्ली
2. गोकलचन्द पुत्र श्योराम जाति चमार निवासी खोहरबसई तहसील बहरोड जिला अलवर ।
3. मुकेश पुत्र मामचंन्द जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 2, बहरोड
4. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार, बहरोड

:–––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 6.9.2011

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांट :– श्री संजीव जैन
2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री अभिषेक गौड व के0 जी0 खंडेलवाल

निर्णय — दिनांक 03/12/2015

1. प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी,बहरोड बहरोड द्वारा वाद राजस्व वाद पत्रावली संख्या 80/2007 उनवान महादुषी बनाम गंगाराम में पारित निर्णय दिनांक 6.9.11 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का यह वाद बाबत तकसीम आराजी घोषणात्मक डिक्री करते हुये वादी को खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 संख्या 01 ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 192, 198 व 177 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बहरोड जिला अलवर पक्षकारान की शामलात खाते की आराजी है । हाल जमाबन्दी में वादी 1/2 भाग का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 2 शेष 1/2 भाग का खातेदार दर्ज है । पक्षकारान ने मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि बांट रखी है । खसरा नम्बर 198 रकबा 31 एयर सालिम, खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर का 24/28 हिस्सा तरफ दक्षिण वादी के हिस्से में आया है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 177 रकबा 50 एयर सालिम व खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर का 24/28 हिस्सा तरफ उत्तर प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 2 के हिस्से में आया । पक्षकरान इसी प्रकार काबिज है । पक्षकारान अलग अलग गांव के हैं । अब शामलात गांव में खेती करना सम्भव नहीं है । अतः डिक्री इस आशय की जारी हो कि आराजी हाल खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर तरफ दक्षिण का 24/28 हिस्सा एवं 198 रकबा 31 एयर पर से अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे । इसी प्रकार खसरा नम्बर 177 रकबा 50 एयर सालिम, जो रोड से लगता हुआ है, तथा खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर के 24/28 हिस्सा तरफ उत्तर से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे । साथ ही उपरोक्तानुसार तकासमा की डिक्री जारी की जावे । तहत न्यायालय ने यह दावा अपीलाधीन आदेश द्वारा डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में तर्क दिये कि विवादित भूमि से वादी का कोई वास्ता नहीं है । विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 7 बीघा में से 5 बीघा मेरे बुजुर्गान जगमल पुत्र गोवर्धन, चन्दर पुत्र मुरली, रामस्वरूप पुत्र हरला ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.4.63 को खरीद की है । तभी से मेरे बुजुर्गान काबिज थे तथा उनके बाद अब हम काबिज है । मै अनुसूचित जाति का हूं । सैटिलमैंट ने गलत तौर पर इस भूमि में से 1/2 भाग प्रहलाद पुत्र नत्थू राजपूत के नाम दर्ज कर दी । उसी के आधार पर 1/2 हिस्सा हरफूल ने गीता को बेच दिया तथा गीता ने वादी को बेच दिया । ये तमाम बेचान नल एण्ड वॉयड है, क्योंकि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है । इन बेचानों से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावित होती है । धारा 42 में उल्लेखित किया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी प्रकार से सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती । यहां यह भी निवेदन है कि पूर्व में गीता ने तहत न्यायालय में एक दावा किया था, जो खारिज हो चयुका है । अब पुनः मौजूदा वाद महादुषी ने पेश किया है । ये दोनों दावे एक ही आराजी और एक ही पक्षकारान के मध्य पेश हुआ था तथा इन दोनों दावों में मांगा गया अनुतोष भी समान है । इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है । परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । इसी प्रकार मैंने भी पूर्व में तकासमा का वाद पेश किया था, जो डिक्री हो चुका है । ऐसी स्थिति में पुनः तकासमा का दावा नहीं चल सकता । वादी को वाद कारण (Cause 0f action) प्राप्त नहीं होता है । मौजूदा वाद सैक्शन 10 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत काबिले स्टे था । अगर स्टे नहीं किया जा सकता था तो दोनों दावों को कन्सोलीडेटेड करके निर्णय करना चाहिये था । तनकियों की विधिसम्मत विवेचना नहीं की गई है । तहत न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डरन की श्रेणी में नहीं आता है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि में 1/2 भाग मेरा है । यह 1/2 भाग मैंने गीता से खरीदा है । शेष 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलांटस प्रतिवादी गंगाराम ने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया था । मैं 1/2 भाग का खातेदार हूं । चूंकि शामलात में खेती करना सम्भव नहीं हो रहा था । इसलिये मैंने तहत न्यायालय में दावा पेश किया । मैंने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । यह सही है कि गीता ने पूर्व में तकासमा का वाद पेश किया था । उस वाद में तथा मौजूदा वाद मे विवादित आराजी और मांगा गया अनुतोष भी समान है, परन्तु पक्षकार समान नहीं है । इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । रेस्पो0 नम्बर 02 गोकलचंद ने तकसीम हेतु आपत्ति नहीं की है । ये विवादित भूमि को खरीदना बताते हैं , परन्तु इस सम्बन्ध में इन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । हाल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में हाल खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर, 198 रकबा 31 एयर तथा 177 रकबा 50 एयर के 1/2 भाग पर वादी रेस्पो0 संख्या 01 महादुषी को, 5/12 भाग पर गोकलचंद को तथा शेष 1/12 भाग पर अपीलांट गंगाराम को खातेदार दर्ज किया हुआ है । इस जमाबन्दी में खसरा नम्बर 192 व 198 का 5/12 भाग बय इन्तकाल संख्या 351 के आधार पर गोकलचंद के स्थान पर मुकेश पुत्र मामनचंद जाति धानका के नाम दर्ज किये जाने का नोट लाल स्याही से अंकित है । जमाबन्दी सम्वत 2060–63 प्रदर्श–2 में वादग्रस्त भूमि पर हरफूल पुत्र नत्थूसिंह 1/2 भाग राजपूत, चन्दर पुत्र मुरली 1/2 बावरिया साकिन देह खातेदार का अंकन है । इसमें चन्दर की विरासत इन्तकाल संख्या 174 द्वारा गंगाराम, रामसिंह, दाताराम, रामपाल, रतिराम (समभाग 1/2 हिस्सा) के नाम दर्ज किये जाने का लाल स्याही से नोट अंकित है । विरासत दर्ज होने के बाद चन्दर के वारिसान रामसिंह, दाताराम, रामपाल, रतिराम व धनीराम से उनका हिस्सा श्रीराम ने खरीद लिया, जिसका अंकन भी लाल स्याही से इस जमाबंदी में हो रहा है । तथा गीता का 1/2 हिस्सा वादी रेस्पो0 संख्या 01 महादुषी ने खरीद कर लिया । जिसका अंकन भी लाल स्याही से इस जमाबन्दी में हो रहा है । मुकदमा नम्बर 168/2006 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.8.2006 की प्रति तहत पत्रावली में पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद अपीलांट गंगाराम ने दाताराम वगैरा के विरूद्ध धारा 88, 89, 188, 53 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश किया था, जो प्राथमिक तौर पर डिक्री करतें हुये तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे । इस प्राथमिक डिक्री की अपील किया जाने का सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 62 मिन रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा से हाल नम्बर 177 रकबा 50 एयर, साबिक नम्बर 62 मिन रकबा शामिल नम्बर 177 से हाल नम्बर 192 रकबा 28 एयर एवं गत नम्बर 62 मिन से हाल नम्बर 192 रकबा 31 एयर बनना पाये जाते हैं । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 के अनुसार भी साबिक खसरा नम्बरान से हाल नम्बरान बनना पाये जाते हैं । जमाबन्दी सम्वत 2027 में खसरा नम्बर 62 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा पर हरफूलसिंह पुत्र नत्थूसिंह को 1/2 भाग पर तथा 1/2 भाग पर चन्दर पुत्र मुरली बावरिया को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

6. इसके पश्चात तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया । तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की तनकीवार समीक्षा निम्न प्रकार है :–

तनकी नम्बर 01 :–

———————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आया आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर वाके ग्राम फतेहपुरा तहसील बहरोड की तरफ दक्षिण भाग 24/28 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 198 रकबा 31 एयर वाके ग्राम फतेहपुरा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे ।

इस तनकी के विवेचन में तहत न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत 2064–67 का हवाला देते हुये 1/2 भाग का वादी को तथा 5/12 भाग का मुकेश को तथा 1/12 भाग का प्रतिवादी अपीलांट गंगाराम को खातेदार माना है । तहत न्यायालय ने इस तनकी में आगे विवेचना की है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब दावा के जिम्मन नम्बर 02 में अंकित किया है कि उनके एवं उनके परिवान जन के बुजुर्गान जगमाल पुत्र गोरधन, चन्दर पुत्र मुरली, रामस्वरूप पुत्र हरला ने साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 7 बीघा में से 5 बीघा भूमि दिनांक 19.4.63 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कय की थी । किन्तु प्रतिवादी ने इसके समर्थन में जो बयनामा की प्रति पेश की है, उसमें विकेता के नाम कोई भूमि होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । खसरा नम्बर 62 में इनके पिता चन्दर के नाम जो हिस्सा था, उसमें चन्दर के वारिसान का अमल दरामद होना पाया जाता है ।

इस तनकी में तहत न्यायालय ने जो विवेचना की है, वह सही है । क्योंकि जमाबंदी सम्वत 2064–67 में विवादित भूमि के 1/2 भाग पर वादी को तथा 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार दर्ज किया हुआ है । इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2060–63 के अनुसार 1/2 भाग का खातेदार हरफूल सिंह व 1/2 भाग का खातेदार अपीलांट के पिता चन्दर को दर्ज किया हुआ है । पत्रावली में संलग्न जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में सम्वत 2027 में 1/2 भाग हरफूल सिंह की तथा 1/2 भाग अपीलांट के पिता चन्दर की खातेदार में दर्ज था । चन्दर के बाद उसकी विरासत उसके पुत्रों में समभाग में दर्ज हो गई । विरासत दर्ज होने के बाद अपीलांट गंगाराम को छोडकर शेष 5 वारिसान ने अपना अपना हिस्सा (कुल हिस्सा 5/12) श्रीराम को बेच दिया तथा शेष 1/12 हिस्सा अपीलांट गंगाराम के नाम रहा । यह 5/12 हिस्सा श्रीराम ने गोकल चन्द आर्य को बेच दिया । अन्त में यह 5/12 हिस्सा मुकेश पुत्र मामनचंद के नाम बय इन्तकाल के आधार पर दर्ज हो गया । इसी प्रकार विवादित भूमि का शेष 1/2 भाग, जो कि जमाबन्दी सम्वत 2027 के अनुसार हरफूल सिंह की खातेदारी में था, को गीता देवी ने खरीद कर लिया और गीता देवी से वादी रेस्पो0 संख्या 01 महादुषी ने खरीद कर लिया और इस खरीद के आधार पर वह राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है । इस प्रकार अन्त में राजस्व रेकार्ड हाल में विवादित भूमि के 1/2 भाग के खातेदार वादी रेस्पो0 संख्या 01 महादुषी एवं 5/12 भाग के खातेदार मुकेश पुत्र मामनचंद को तथा 1/12 भाग के खातेदार अपीलांट गंगाराम दर्ज हो गये । अपीलांट का यह कथन है कि विवादित भूमि उनकी खरीदशुदा भूमि है । अपीलांट ने अपने इस कथन के समर्थन में बयनामा दिनांक 19.4.63 की फोटो प्रति तहत पत्रावली में पेश की है । परन्तु यह दस्तावेज अपीलांट के इस कथन की कतई ताईद नहीं करते है । क्योंकि यह बयनामा शंकरलाल पुत्र रूडमल ने 2000/– रूपये में आराजी साबिक खसरा नम्बर 62 में से 5 बीघा भूमि का रामस्वरूप वगैरा के पक्ष में निष्पादित कराया है और उक्त शंकरलाल के नाम यह भूमि खातेदारी में हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । जिसके अभाव में यही माना जावेगा कि शंकरलाल विवादित भूमि का खातेदार न होते हुये भी भूमि का बेचान कर दिया । जो कि विधिविरूद्ध है । समस्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि है और वह अपने हिस्से पर काबिज है । इसलिये वह तनकी नम्बर 01 में मांगे गये अनुतोष का अधिकारी है । अतः तनकी नम्बर 01 में तहत न्यायालय ने जो विवेचना की है, वह उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा इस तनकी में तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर 02 :–

आया आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 50 एयर सालिम वाके ग्राम फतेहपुरा, जो कि रोड से लगता हुआ है, के तथा खसरा नम्बर 192 रकबा 28 एयर वाके ग्राम फतेहपुरा के 4/28 भाग तरफ उत्तर से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार घोषित किया जावे ।

इस तनकी के निर्णय में विद्वान तहत न्यायालय ने जो विवेचना की है, वह उचित है । क्योंकि पत्रावली में पेश राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित भूमि का 1/2 भाग वादी महादुषी ने खातेदार गीता से खरीद किया है और वह इस हिस्से पर खातेदार दर्ज है और इसी अनुसार वह तकासमा कराने का अधिकारी है । अतः तहत न्यायालय द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में पारित निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर 03 :–

आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश जवाब की मजीद में दर्ज आपत्तियों के कारण दावा खारिज होने योग्य है ।

इस तनकी के सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने विवेचना की है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । जहां तक पूर्व वाद 168/06 गंगाराम बनाम दाताराम का संबंध है, उक्त वाद भी विवादित आराजी के तकसीम बाबत है । मौजूदा वाद के नये खातेदार दर्ज हो गये है । अतः उक्त पक्षकार के मध्य ही विवादित आराजी का बंटवारा होगा । जिससे पूर्व वाद पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । जिससे उसका जवाब दावा सिद्ध हो सके । अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

इस तनकी के सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित प्रतीत होता है । क्योंकि जहां तक रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वाद संख्या 168/2006 में पारित प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनांक 2.8.2006 की नकल का अवलोकन किया । इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह दावा अपीलांट गंगाराम द्वारा दाताराम वगैरा के विरूद्ध पेश किया गया था । यह दावा भी तकासमा का था और मौजूदा वाद भी तकासमा का है । तथा इन दोनों दावों में आराजी भी एक समान है परन्तु पक्षकार एक समान नहीं है । रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त वहीं पर लागू होता है, जहां पर पूर्ववती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद दोनों में आराजी एवं पक्षकार एक समान हो तथा मांगा गया अनुतोष भी एक समान हो । पूर्ववर्ती वाद में पारित किये गये निर्णय की आगे कोई अपील किये जाने का सबूत भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । चूंकि पूर्ववर्ती वाद एवं मौजूदा वाद के पक्षकार एक समान नहीं है । इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । अतः तहत न्यायालय द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में जो विवेचना की गई है, वह उचित है । लिहाजा इस तनकी के सम्बन्ध में पारित किया गया निर्णय यथावत रखा जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

7. पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विवादित हाल खसरा नम्बर 192, 198 व 177 वाके ग्राम फतेहपुरा तहसील बहरोड को वादी रेस्पो0 संख्या 01 महादुषी ने खातेदार गीता से खरीद किया है और वह इस 1/2 भाग पर काबिज है । वादी रेस्पो0 महादुषी अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष का अधिकारी है । जमाबन्दी सम्वत 2026 में हरफूलसिंह वल्द नत्थूसिंह राजपूत एवं चन्दर वल्द मुरली बावरिया 1/2, 1/2 हिस्से के सह खातेदार दर्ज हैं । रिकार्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अनुसूचित जाति के काश्तकार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के काश्तकार को भूमि का बेचान किया गया हो । अतः धारा 42 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है । पूर्व में अपीलांट द्वारा मुकदमा नम्बर 168/2006 में घोषणा व तकसीम का दावा किया गया था । उसमें भी रिकार्डेड खातेदार हरफूल पुत्र नत्थू राम जाति राजपूत एवं गीता पत्नि रामजस अहीर को पक्षकार बनाया गया था । उसमें भी प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी । इस दावे में भी धारा 42 के उल्लंघन का तथ्य अंकित किया जाना नहीं पाया जाता है एवं ना ही इस प्राथमिक डिक्री की अपील किया जाना पाया जाता है । अतः अब यह तथ्य मानने योग्य नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्वान तहत न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में जो तनकीवार विवेचना की है, वह विधिसम्मत है,जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2007 उनवान महादुषी बनाम गंगाराम में पारित अपीलाधीन आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.9.2001 यथावत रखे जाते हैं ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 107/2011 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. गंगाराम पुत्र चन्दर जाति बावरिया निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:–– अपीलांट

बनाम

1. महादुषी बिल्डर्स प्रा0 लि0 सी0 34 वरूण अपार्टमैंट सैक्टर 9 रोहिणी, दिल्ली जरिये डायरेक्टर विकास खटटर पुत्र आत्माप्रकाश खटटर निवासी सी0 34 वरूण अपार्टमैंट सैक्टर 9 रोहिणी, दिल्ली
2. गोकलचन्द पुत्र श्योराम जाति चमार निवासी खोहरबसई तहसील बहरोड जिला अलवर ।
3. मुकेश पुत्र मामचंन्द जाति धानक निवासी वार्ड नम्बर 2, बहरोड
4. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार, बहरोड

:––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 6.9.2011

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजीव जैन
2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री अभिषेक गौड व के0 जी0 खंडेलवाल

पर्चा डिकी दिनांक 03/12/2015

अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2007 उनवान महादुषी बनाम गंगाराम में पारित अपीलाधीन आदेश एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 6.9.2001 यथावत रखे जाते हैं ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner